न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 03 / 2021

सुबानी पुत्री हिम्मत पत्नि कमरू जाति मेव निवासी ग्राम जोतगामेती हाल निवासी ग्राम सतवाडी तहसील पहाडी (भरतपुर) राज0

अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत जोतरूहल्ला जरिये सरपंच ग्राम पंचायत जोतरूहल्ला तहसील पहाडी (भरतपुर)
2. सुभान खाँ
3. इस्लाम
4. हुसैन खाँ } पिसरान हिम्मत
5. आसब
6. खालिद } पिसरान हुसैन खाँ जाति मेव निवासी ग्राम जोतगामेती तहसील पहाडी (भरतपुर) राज0

असल रैस्पोडेन्टस

7. श्रीमान तहसीलदार साहब एवं उपपंजीयक महोदय पहाडी (भरतपुर)

फौरमल रैस्पोडेन्ट

8. फईमन पुत्री हिम्मत पत्नि जुम्मा जाति मेव निवासी ग्राम जोतगामेती तहसील पहाडी हाल निवासी ग्राम लफूरी तहसील पुन्हाना(मेवात) हरियाणा

तरतीवी रैस्पोडेन्ट

अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट अपील
नामान्तकरण संख्या 353 ग्राम जोतगामेती
विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत जोतरूहल्ला
दिनांक 22 / 07 / 1995

1. श्री सतीश बुन्देला वकील अपीलान्ट

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

2. श्री प्रहलाद सिंह वकील रैस्पोडेन्टस् संख्या 1 लगायत 6
3. श्री अल्ताप हुसैन रैस्पोडेन्ट संख्या 88

दिनांक :– 01/04/2022

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 आर0 एल0आर0 एक्ट के तहत विरूद्ध रैस्पोडेन्टस इस आशय की पेश की कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1064/0.49, 187/0.46, 214/0.11, 232/0.51, 238/0.27, 271/0.28, 28/0.39, 299/0.12, 310/0.22, 32/0.40, 343/0.25, 4/0.45, 433/0.54, 435/2831/0.39, 456/0.01, 457/0.01, 458/0.74, 478/0.01, 472/0.37, 494/0.25, 497/0.12, 519/0.67, 667/0.10, 820/0.32, 88/0.10 हैक्टर बांके ग्राम जोतगामेती तहसील पहाडी में स्थित है। अपीलान्ट की माता सम्पत्ति फौत हो चुकी है तथा मृत्तक हिम्मत की मृत्यु के बाद अपीलान्ट, रैस्पोडेन्ट संख्या 2,3,4 व तरतीवी रैस्पोडेन्ट संख्या 8 भी वारिस रह गये है। इस प्रकार अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट संख्या 2,3,4 व तरतीवी रैस्पोडेन्ट संख्या 8 आपस में सगे भाई–बहिन है। जो कि एक ही परिवार के सदस्य है और अपने पिता के जीवन काल से वाहिस्सा बराबर काश्त करते चले आ रहे है और आज भी निरन्तर रूप से वाहैसियत वाहिस्सा बराबर काबिज काश्त है अपीलान्ट के पिता फौत हो चुके है और उसकी फौती के बाद विवादित आराजी विरासतन अपीलान्ट , रैस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 4 व तरतीवी रैस्पोडेन्ट के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होनी चाहिए थी परन्तु ग्राम पंचायत जोतरूहल्ला के तत्कालीन सरपंच ने अपीलान्ट, तरतीवी रैस्पोडेन्ट को छोडते हुये रैस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 4 से मिलकर तथ्यों को छिपाते हुये रैस्पोडेन्ट संख्या 2, 3,4 के नाम विवादित आराजी का दाखिल खारिज इनके नाम दर्ज करते समय तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत जोतरूहल्ला ने अपीलान्ट को सुनवाई का मौका नहीं दिया जो कि गलत व खिलाफ कानून, मौका व कब्जा है। जबकि नामान्तकरण दर्ज करते समय तत्कालीन सरपंच ने अपीलान्ट को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया और अपीलान्ट को नजर अंदाज करते हुये नामान्तकरण संख्या 353 रैस्पोडेन्टस संख्या 2,3,4 के नाम दर्ज कर दिया जो काविले निरस्तनीय है। रैस्पोडेन्ट संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत जोतरूहल्ला ने अपीलान्ट को सुनवाई का कोई मौका दिये बिना तथा बिना जाँच बिना नोटिस

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

दिये उक्त नामान्तकरण रैस्पोडेन्टस संख्या 2, 3, 4 के नाम दर्ज कर दिया तथा उक्त नामान्तकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत दर्ज किया गया है। वक्त अपील दायरी तरतीवी रैस्पोडेन्ट न्यायालय श्रीमान के समक्ष उपस्थित नहीं थी इस कारण उसे अपील में तरतीवी पक्षकार बनाया गया है। जिसके हित व हक अपीलान्ट के समान है रैस्पोडेन्ट संख्या 4 ने बडी चालाकी से अपने नाम दर्ज आराजी का नाजायज फायदा उठाते हुये अपने दोनो पुत्रों रैस्पोडेन्ट संख्या 5, 6 के नाम बयनामाओं के आधार पर कराया गया जो कि पूर्व से जिनके दाखिल खारिज संख्या 574, 575 बांके ग्राम जोतगामेती शून्य व वातिल बेअसर है । अपीलान्ट विवादित आराजी के अपने पिता हिम्मत के समय से ही खातेदार काश्तकार की हैसियत से वाहिस्सा बराबर काश्त करती चली आ रही है और आज भी अपीलान्ट का कब्जा व काश्त है। जिसमें अपीलान्ट का पूरा अधिकार है। रैस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 4 ने रैस्पोडेन्ट संख्या 1 से साज कर विवादित आराजी का दाखिल खारिज अपीलान्ट व तरतीवी रैस्पोडेन्ट को छोडते हुये अपने नाम विरासत का दाखिल खारिज दर्ज करवाया है। उसे निरस्त कराकर अपीलान्ट अपने नाम को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करा पाने की अधिकारी है। अपीलान्ट अपनी हिस्से की आराजी के सम्बन्ध में के0सी0सी0 की फाईल तैयार कराने पटवारी हल्का के पास गई तो जानकारी मिली की मृत्तक हिम्मत की आराजी का विरासत का दाखिल खारिज अपीलान्ट व तरतीवी रैस्पोडेन्ट को छोडते हुये अपने नाम दाखिल खारिज दर्ज करावा लिया। जिसके बाबत अपीलान्ट ने रैस्पोडेन्ट से ग्राम जोतरूहल्ला में कहन सुनन की तो रैस्पोडेन्ट नाराज हो गये और विवादित आराजी को दीगर जगह रहन वय मुन्तकिल व बेदखल करने की ऐलानिया धमकी दिनांक 01/06/2021 को स्पष्ट शब्दों में बांके ग्राम जोतगामेती तहसील पहाडी में दी जिसके तुरन्त दिनांक 02/06/2021 को नकल जमाबन्दी व दाखिल खारिज की नकल लेने पर जानकारी हुई है। इससे पूर्व अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी इसलिए अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है तथा अपीलान्ट अनपढ, पर्दानशीन महिला है। रैस्पोडेन्ट संख्या 7 तहसीलदार को वगर्ज फौरमल पक्षकार बनाया गया है क्योकि राजस्व रिकॉर्ड उनकी तहवील में रहता है तथा उपपंजीयक की हैसियत से वयनामा को रोकने का अधिकार है। जिनसे कोई अन्य दादरसी नहीं चाही गई है। अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर दाखिल खारिज संख्या 353 दिनांक 22/07/1995 आदेश ग्राम पंचायत जोतरूहल्ला निरस्त किया जाकर उक्त आराजी मुत0 का मुताबिक

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

कानून वाहिस्सा अपीलान्ट व तरतीवी रैस्पोडेन्ट के नाम दाखिल खारिज दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्ट्रर की जाकर रैस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया । रैस्पोडेन्टस जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आये। रैस्पोडेन्ट संख्या 1 ने जबाब इस आशय का पेश किया कि दाखिल खारिज संख्या 353 ग्राम जोतगामेती को ग्राम पंचायत जोतरूहल्ला ने सन् 1995 में दर्ज किया था जिसको अपीलान्ट वं रैस्पोडेन्ट संख्या 8 की सहमति से दर्ज किया गया था अपीलान्ट को दाखिल खारिज की अच्छी तरह से जानकारी थी और अपीलान्ट का आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा एवं हाल में भी कब्जा नहीं है। अपीलान्ट एवं रैस्पोडेन्ट संख्या 8 अपनी ससुराल में रह रही है। अपीलान्ट ने रैस्पोडेन्टस को तंग व परेशान करने की नियत से अपील पेश की है। अतः आपत्ति पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें। रैस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 6 ने जबाब इस आशय का पेश किया कि अपीलान्ट का आराजी पर कभी भी किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं रहा है। अपीलान्ट की उम्र 65 वर्ष एवं रैस्पोडेन्ट संख्या 8 की उम्र 60 वर्ष है इन दोनो की शादी करीब 40 वर्ष पूर्व ही करदी गई थी और तभी से अपनी ससुराल में रह रही है। पिता रैस्पोडेन्ट संख्या 8 की फौती होने के बाद विरासत का दाखिल खारिज अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट संख्या 8 की उपस्थिति में ग्राम पंचायत जोतरूहल्ला ने दर्ज किया था उस समय सरपंच ग्राम पंचायत के समक्ष अपीलान्ट ने कोई भी आपत्ति पेश नहीं की और दाखिल खारिज सन् 1995 में दर्ज किया गया था जिसकी जानकारी अपीलान्ट को थी और अपीलान्ट ने अपनी सहमति से ही दाखिल खारिज दर्ज किया गया था । इस प्रकार अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है। विरासत का दाखिल खारिज दर्ज करने का अधिकार ग्राम पंचायत को था जिसने अपीलान्ट की सहमति लेकर ही दाखिल खारिज दर्ज किया था। अपीलान्ट ने ऐसा कोई भी साक्ष्य अपील में पेश नहीं किया है जिससे यह साबित होता है कि ग्राम पंचायत ने अपीलान्ट को सुनवाई का मौका नहीं दिया हो। रैस्पोडेन्ट संख्या 8 का आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है एवं अपीलान्ट ने रैस्पोडेन्ट संख्या 8 से अपील पेश करने से पूर्व किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी है। अपीलान्ट को दाखिल खारिज दर्ज होने की पहले से ही जानकारी थी। अपीलान्ट को किसी भी प्रकार का कॉज ऑफ एक्शन पैदा नहीं होता है। अपीलान्ट की अपील काबिले खारिजी होने योग्य है। रैस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 ने आराजी को जरिये बयनामा क्रय किया है रैस्पोडेन्ट

उपखण्ड अ...
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 5, 6 सद्भावी क्रेता है जिनको बेवजह पक्षकार बनाया गया है। मुताबिक कानून वयनामा को निरस्त करने का अधिकार सिविल कोर्ट को है न कि रेवेन्यू कोर्ट को इस विनाय पर अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है। अतः अपील आपत्ति पेश कर निवेदन है कि अपील सारहीन है जो कि काबिले खारिज होने योग्य है। रैस्पोडेन्ट संख्या 8 ने जबाब इस आशय का पेश किया कि पिता की फौती के बाद दाखिल खारिज दर्ज करते समय सन् 1995 में मुझ रैस्पोडेन्ट संख्या 8 व अपीलान्ट ने सहमति दी थी और दाखिल खारिज दर्ज होने की मुझे व मेरी बहिन अपीलान्ट को अच्छी तरह से जानकारी थी ग्राम पंचायत ने अच्छी तरह से जाँच कर व सबकी सहमति से दाखिल खारिज दर्ज किया था। अपील अपीलान्ट ने गलत तरीके से पेश की है। अपीलान्ट का कोई हित आराजी में नहीं है। मात्र रैस्पोडेन्ट को तंग व परेशान करने की नियत से अपील पेश की है एवं आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं रहा है और मौके पर रैस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 6 का कब्जा काश्त है। अपीलान्ट का व मेरा आराजी में किसी प्रकार का हित नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

वकील अपीलान्ट् एवं रैस्पोडेन्टस की बहस सुनी गई। बहस वकील फरीकेन पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में नामान्तरण संख्या 353 दिनांक 22.07.1995 को खारिज करने का निवेदन किया गया है। अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट संख्या 2,3,4 व तरतीवी रैस्पोडेन्ट संख्या 8 आपस में सगे भाई–बहिन है। जो कि एक ही परिवार के सदस्य है। इस तथ्य को सभी रैस्पोडेन्ट ने स्वीकार किया है। ग्राम पंचायत जोतरूहल्ला द्वारा मृतक हिम्मत की विरासत खोलते समय सभी वारिसान को रिकॉर्ड पर नहीं लिया है। रैस्पोडेन्ट का यह कथन है कि सरपंच ग्राम पंचायत के समक्ष अपीलान्ट ने कोई भी आपत्ति पेश नहीं की और दाखिल खारिज सन् 1995 में दर्ज किया गया था जिसकी जानकारी अपीलान्ट को थी और अपीलान्ट ने अपनी सहमति से ही दाखिल खारिज दर्ज किया गया था। परन्तु रैस्पोडेन्ट द्वारा कोई भी सहमति का दस्तावेजी साक्ष्य अथवा हक त्याग न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे रैस्पोडेन्ट के कथन की पुष्टि होती हो। पैतृक आराजी में सभी विधिक वारिसानों का हक होता है। नामान्तरण स्वत्व अथवा हित सृजन नहीं करता है। सभी विधिक वारिसान भूमि के हकदार होते है। जब तक कि किसी विधिक वारिसान द्वारा रजिस्ट्रर्ड हक त्याग से हिस्सा न छोड़ा हो। ग्राम पंचायत जोतरूहल्ला द्वारा नामान्तरण प्रकिया के समय इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया है। जहां तक परिसीमा का प्रश्न है। पुत्रियाँ प्रथम श्रेणी की वारिसान है। उन्हे मनमाने ढंग से छोड़ा नहीं जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में सभी वारिसानों को बिना सुने एक पक्षीय आदेश किया गया है। ऐसे एक पक्षीय आदेश में

उपखण्ड अधिकारी
(भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

परिसीमा तात्विक नहीं है। इसलिए ग्राम पंचायत जोतरूहल्ला द्वारा नामान्तरण गलत खोला गया है। अतः नामान्तरण संख्या 353 दिनांक 22.07.1995 को खारिज किया जाना उचित है।

अतः आज्ञा है कि :–

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 353 दिनांक 22.07.1995 आज्ञा सरपंच ग्राम पंचायत जोतरूहल्ला निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार पहाड़ी को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि वे उभयपक्षकारान को सुनकर मृतक हिम्मत के वारिसान की सही जांच कर पुनः विधिवत निर्णिय पारित करें। निर्णय प्रति तहसीलदार पहाड़ी को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 01/04/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner